कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (राज.)

कमांक– शे / 20

दिनांक– 01.07.2023

: : कार्यालय आदेश : :

मैं श्रीमती गरिमा सौदा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह जुलाई, 2023 के राजकीय अवकाशों को** जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए इस कार्यालय आदेश के जरिये कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर कोविड–19 महामारी से बचाव के संबंधित मानक प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ।

(1) कम संख्या	(2) नाम अधिकारी	(3) पद नाम	(4) दिनांक
1	सुश्री भानुप्रिया जैन	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहावट	02.07.2023
2	श्री तरूणकांत तिवारी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01–फलोदी।	08.07.2023 09.07.2023
3	श्रीमती हुमा कोहरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़।	16.07.2023
4	श्रीमती इंदू चौधरी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर।	22.07.2023 23.07.2023
5	श्रीमती अलका जोशी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाड़शहर।	29.07.2023
6	श्री विजय बाकोलिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़शहर।	30.07.2023

साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हें उक्त अवकाश के दिवसों को उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित / अर्द्धवैतनिक / रूपान्तरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित किये जावेंगे। यह और भी, निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अभिकथित आरोपी / आरोपीगण के रिमाण्ड बाबत उक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारी विधिनुसार आदेश पारित करेंगे। साथ ही **एन.डी.पी.एस.** प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जोधपुर जिला के आदेश कमांक स्था0 / 2022 / 1090–1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला